

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात

प्रेषक,

जिलाधिकारी
कानपुर देहात।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिन्सिपल बेन्च, नई दिल्ली।

पत्रांक- 870/R-166/2024

दिनांक- 01.07.2024

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0नं0-285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन में दिनांक 13.03.2024 को संयुक्त समिति द्वारा Action Taken Report प्रेषित की जा चुकी है। उक्त के अनुक्रम में प्रकरण में अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा पत्रांक-1211/प0/सा0लि0/विविध-पत्रा0/2023-24, दिनांक 27.06.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि नहवीन ग्रे वाटर मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में जनपद की 30 ग्राम पंचायतों में नालियों का गंदा पानी तालाबों में नहीं जा रहा है तथा 60 ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा उत्पन्न ग्रे वाटर को साफ करने हेतु आवश्यकतानुसार कम्प्यूनिटी सोक पिट का निर्माण कराकर ग्राउण्ड वाटर को रिचार्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है। विकास खण्ड मैथा की ग्राम पंचायत देवीपुर, हथिका, गारब, बैरी दरियाव व हीरामन शिवली में तालाबों में जलकुम्भी की साफ सफाई करा दी गयी है। उक्त कार्यवाही के फोटोग्राफ्स तथा सहायक विकास अधिकारी, विकास खण्ड मैथा, कानपुर देहात का पत्र तथा अतिक्रमण मुक्त कराने के सम्बन्ध में तहसील-सिकन्दरा, कानपुर देहात द्वारा की गयी कार्यवाही का अद्यतन विवरण भी संलग्नकर प्रेषित है।

अग्रेत्तर शिकायतकर्ता श्री मेघराज सिंह मानव अधिकार, आर0टी0आई0 कार्यकर्ता, ग्राम-बिलासपुर बाँगर, पोस्ट-अरसुन, जनपद-कानपुर देहात द्वारा 02 अद्द प्रत्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें उनके द्वारा बिलासपुर बांगर में खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा बने रोड पर फिर से बनवाये जाने इसको जल निकासी की पूर्व बनी पुलिया का जीर्णोद्धार कराते हुए तालाब को जल निकासी समुचित व्यवस्था कराते हुए तालाब से अतिक्रमण हटवाकर अमृत सरोवर के तहत स्वीकृति धनराशि के तहत विकास किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। उक्त के अनुक्रम में अधिशाषी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर देहात के पत्रांक-572/आई0सी0, दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित बिन्दु के कम में पूर्व में उक्त मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है एवं वर्तमान में ह्यूम पाइप डालकर घरों की जल निकासी का कार्य करा दिया गया है।

उक्त की अद्यतन स्थिति मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


(आलोक सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर देहात

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
कानपुर देहात।

महोदय,

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 सं0-285/2023 मेघराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के क्रम में वांछित रिपोर्ट न्यायालय में उपलब्ध कराने का निर्देश किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् है।

Status of Encroachment on Pond in District Kanpur Dehat

Tehsil Name	Encroachment Identified		Encroachment Removed		Encroachment Removal Under Consideration	
	Permanent	Temporary	Permanent	Temporary	Permanent	Temporary
Sikandra	03	0	01	0	02	00

याची श्री मेघराज सिंह पुत्र श्रीकृष्ण नि0ग्रा0 विलासपुर बॉगर तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के निवासी हैं। ग्राम विलासपुर बॉगर तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात में गाटा संख्या 511 रकवा 0.502हे0, गाटा संख्या 307मि0 रकवा 0.184हे0 व गाटा संख्या 448मि0 रकवा 0.071हे0 तालाब खाते की भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख हैं। उक्त तालाब खाते की भूमि मौके पर अतिक्रमण मुक्त है।

आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित क्रान्ति अभिकरण नई दिल्ली के समक्ष सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।


तहसीलदार
सिकन्दरा कानपुर देहात।


उप जिलाधिकारी,
सिकन्दरा कानपुर देहात।

सेवा में,

✓ क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय-280, एन०एच०-19 रनियां,

जनपद-कानपुर देहात।

पत्रांक- 1211 / पं० / सा०लि० / विविध-पत्रा० / 2023-24

दिनांक- 27-06-2024

विषय-: मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए०न०-285 / 2023 मेघराज सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में समय-समय में पारित आदेश के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-215 / सा० / आर-166 / 2024 दिनांक-03.01.2024 एवं पत्र संख्या-419 / सा० / आर-166 / 2024 दिनांक-19.02.2024 का संदर्भ लेने का कष्ट करे। जिसके द्वारा मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली ओ०ए०न० / 285 / 2023 मेघराज सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य दिनांक-20.07.2023 में पारित आदेश के सम्बन्ध में जनपद के तालाबों में जलगुणवत्ता मानक विहीन पाये गये तालाबों की सूची संलग्न कर जल कुम्भी की सफाई कराने एवं सीवेज को डायवर्ड कराकर जलगुणवत्ता सुधार से सम्बन्धित कृत कार्यवाही से आख्या चाही गयी है।

तत्कम कम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-3562 दिनांक-06.01.2024 एवं पत्र संख्या 4326 दिनांक-04.03.2024 के द्वारा समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०) जनपद कानपुर देहात को पत्र एवं सूची प्रेषित कर उपरोक्तानुसार मानक विहीन तालाबों से जल कुम्भी की विधिवत रूप साफ-सफाई कराने एवं जलगुणवत्ता को ठीक कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

1. नहवीन ग्रे वाटर मैनेजमेंट योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में जनपद की 30 ग्राम पंचायतों में नालियों का गंदा पानी तालाबों में नहीं जा रहा है तथा 60 ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा उत्पन्न ग्रे वाटर को साफ करने हेतु आवश्यकतानुसार कम्युनिटी सोक पिट का निर्माण कराकर ग्राउण्ड वाटर को रिचार्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।
2. विकास खण्ड मैथा की ग्राम पंचायत देवीपुर, हथिका, गारब, बैरी दरियाव व हीरामन शिवली में तालाबों में जलकुम्भी की साफ सफाई करा दी गयी है। जिसकी आख्या एवं फोटोग्राफ साथ में संलग्न है, अवशेष ग्राम पंचायतों में जल कुम्भी हटाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Vikas

(विकास पटेल)

जिला पंचायत राज अधिकारी
कानपुर देहात

पृष्ठांकन संख्या

तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय कानपुर देहात की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय कानपुर देहात की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पंचायत राज अधिकारी
कानपुर देहात

प्रेषक,

सहायक विकास अधिकारी (पं०)
वि०ख०-मैथा कानपुर देहात।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी
जनपद-कानपुर देहात।

पत्रांक 82 / पंचा० / तालाब-सफाई / 2024-25

दिनांक 27.06.2024


विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए०न०-285/2023 में श्री मेघराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में समय-समय पर कार्यालय द्वारा पारित आदेश/निर्देश के क्रम में विकास खण्ड से आख्या प्रेषण करने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपके कार्यालय पत्र संख्या 129 दिनांक 09.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए०न०-285/2023 में श्री मेघराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 20.07.2023 में पारित आदेश के क्रम में विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों में स्थिति अत्यधिक जल कुम्भी एवं जलगुणवत्ता मानक विहीन तालाबों की साफ-सफाई कराने निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के परिपालन में विकास खण्ड की 05 ग्राम पंचायतों में सफाई करा दी गयी है। तालाब में जलकुम्भी नहीं है, तालाब सफाई की फोटोग्राफ संलग्न है।

देवीपुर







गजफरपुर (गारब)




बैरी दरियाव



हीरामन शिवली



अतः उक्त के परिपालन में विकास खण्ड की 05 ग्राम पंचायतों में सफाई करा दी गयी है। तालाब में जलकुम्भी नहीं है सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है।


सहायक विकास अधिकारी(पं०)
मैथा कानपुर देहात।



Hathika, Uttar Pradesh, India
Unnamed Road, Hathika, Uttar Pradesh 209303, India
Lat 26.531156°
Long 80.01945°
27/06/24 07:30 AM GMT +05:30



Google

1034



 GPS Map Camera



Hathika, Uttar Pradesh, India
Unnamed Road, Hathika, Uttar Pradesh 209303, India
Lat 26.531124°
Long 80.019494°
27/06/24 07:29 AM GMT +05:30

1035



1036



1037



1038



1039

